संख्या-28/304/47-का-3-2014-13/12/2009

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रशासक
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

**कार्मिक अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2014**

विषय- श्री दीपक टण्डन, प्रवर वर्ग सहायक, आयोग के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या-2091/47-का-3-2013-13/12/2009, दिनांक 07.02.2013 के क्रम में प्रेषित आयोग के पत्र संख्या-647/अधि.-आयोग/2014-2/4(25)/95-95, दिनांक 27.01.2014 तथा संख्या-663/अधि-आयोग/2014-2/4(25)/95-95, दिनांक 10.02.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से श्री दीपक टण्डन, प्रवर वर्ग सहायक, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 04.05.2012 से 15.05.2012 के मध्य मेदान्ता मेडिसिटी, गुड़गॉव में कराये गये उपचार पर हुए व्यय की कुल धनराशि रू0-3,28,067/-(रूपये तीन लाख अट्ठाइस हजार सरसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गये थे।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2091/47-का-3-2013-13/12/2009, दिनांक 07.02.2013 के प्रस्तर-3 के स्थान पर निम्न प्रस्तर रख दिया जाए।

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत मद संख्या-49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त सीमा तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2013 को संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-28/304(1)/47-का-3-2014-13/12/2009, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2.
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2.
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5.
6- श्री दीपक टण्डन, प्रवर वर्ग सहायक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shsanadesh.up.nic.in